"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2006—पौष 8, शक 1928

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2006.

क्रमांक एफ 9-13/2006/1-8.—इस विभाग के आदेश दिनांक 7-10-2006 द्वारा श्री एन. के. शुक्ला (रा. प्र. से.) को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन कर अब उन्हें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदस्थ मान्य करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदेन उप-सचिव, परिवहन विभाग घोषित किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ 9-13/2006/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर, 2006 की चौथी पंक्ती में टंकित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के स्थान पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2006

क्रमांक 1192/924/2006/1-8/स्था.—श्री एच. पी. किण्डो, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 10-10-2006 से 17-10-2006 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एच. पी. किण्डो को पुनः संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. पी. किण्डो अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2006

क्रमांक 1194/902/2006/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 25-9-2006 से 7-10-2006 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. पी. दाण्डे को पुनः अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2006

क्रमांक 2627/958/2006/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1065-66/880/2006/1-8/स्था., दिनांक 18-10-2006 द्वारा श्री एस. आर. सेजकर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 26-10-2006 से 4-11-2006 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-3, 4 एवं 5 आदेश दिनांक 18-10-2006 के अनुसार यथावत् होगी.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2006

क्रमांक 1220/855/2006/1-8/स्था.—विभागीय आदेश दिनांक 27-9-2006 द्वारा श्री आर. सी. गुप्ता को दिनांक 28-9-2006 से 4-10-2006 तक 07 दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त करते हुये श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, योजना विभाग को दिनांक 18-10-2006 से 24-10-2006 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, योजना विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, योजना विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1310/1019/2006/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजुरकर, प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, वन विभाग को दिनांक 11-12-2006 से 15-12-2006 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 9, 10, 16, 17 एवं 18-12-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजुरकर को प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते तो, प्रमुंख सचिव के स्टाफ आफिसर, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1312/964/2006/1-8/स्था.—श्री आर. पी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 4-12-2006 से 8-12-2006 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2006

क्रमांक 14055/डी-3092/21-ब/छ. ग./2006.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 784/दो-15-2/2005/गोपनीय/06, दिनांक 21-11-06 के अनुपालन में श्री टी. सी. यदु, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, जिनकी सेवाएं छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक 3944/डी-980/21-ब/छ. ग./05, दिनांक 29-04-05 के द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सौंपी गयी थी, की सेवाएं उक्त विभाग से वापस लेते हुए उन्हें कुटुम्ब न्यायालय, रायगढ़ में न्यायाधीश के पद पर एतद्द्वारा पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2006

क्रमांक 14169/डी- /21-व/छ. ग./06.—राज्य शासन, समाप्त राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सहा. ग्रेड-1 के दो पद एवं स्टेनोग्राफर के एक पद को वेतनमान 4500-7000 से 5500-9000 में संविलियन की स्वीकृति इस शर्त के साथ देता है कि इनकी वरिष्ठता संविलियन की तिथि से होगी तथा वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 (a) (ii) के अंतर्गत होगा.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय-573-उच्च न्यायालय (भारित)-01-वेतन-भत्ते आदि अंतर्गत विकलनीय होगा.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 547/वि/नि/चार/2005, दिनांक 08-12-06 द्वारा प्रदान की गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोद्दार, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

क्रमांक /2499/2377/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23, 1973) की धारा 13 (2) के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भाटापारा निवेश क्षेत्र जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2797/तैंतीस/73, भोपाल दिनांक 9-11-1973 द्वारा गठित किया गया था. जिसकी सीमाओं में परिवर्तन करती हैं जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं.

अनुसूची

भाटापारा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम अमरेठी, सुरजपुरा, खोलवा, हथनी, पेन्डरी तथा तरेंगा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम खपराडीह, अमरेठी, खोलवा तथा सुरजपुरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम धौराभाठा, खोखली, पटपर तथा खपराडीह ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम तरेंगा, पेन्डरी, हथनी तथा धौराभाठा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-10/32/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23, सन् 1973) की धारा 18 (3) के अंतर्गत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से जांजगीर निवेश क्षेत्र के लिए प्राप्त विकास योजना का उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन अनुमोदन करता है. अधिनियम की धारा 19 (4) के अधीन यह सूचना दी जाती है कि अनुमोदित विकास योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(i) कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा.
(ii) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, जांजगीर.
(iii) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर.

जांजगीर विकास योजना छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 19(5) के अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तित होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-29/2004/13/1/454.—ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 335/प्रस/ऊर्जा/2006, दिनांक 31-7-2006 द्वारा श्री मनोज डे, सेवानिवृत्त सदस्य (पारेषण एवं वितरण) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, रायपुर को दिनांक 1 अगस्त, 2006 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन अथवा 9 दिसम्बर, 2006 जो भी पहले हो, तक संविदा आधार पर सदस्य (पारेषण एवं वितरण) नियुक्त किया गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनोज डे को आगामी 9 जून, 2007 अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन तक जो भी पहले हो, तक संविदा आधार पर सदस्य (पारेषण एवं वितरण) नियुक्त करता है.

संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें पूर्ववत् यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्रमांक 9302/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	घोठिया प. ह. नं. 53	0.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	घोठिया जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्रमांक 9303/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: [illegible] अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस [illegible] की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उ[illegible]रा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	पिनकापार	1.85	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मासूलजोब जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

क्रमांक 988/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	हरदी प. ह. नं. 34	0.95	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग दुर्ग संभाग, दुर्ग.	नंदिनी से दारगांव पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

क्रमांक 991/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	खजरी प. ह. नं. 33	1.45	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग दुर्ग संभाग, दुर्ग.	नंदिनी से दारगांव पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 जुलाई 2006

क्रमांक 10/अ-82/2003-04/सा.-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	तेन्दुआ	3.21	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्रमांक 13165/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	मुरली	9.983	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	डूबान क्षेत्र हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 27 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र./23/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	राजपुर	धन्धापुर	0.437	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अंबिकापुर.	महानदी पहुंच मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

क्रमांक/5514/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	गुमड़ा	0.10	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा.	दन्तेवाड़ा व्यपवर्तन योजना हेतु नहर/नाली निर्माण ग्राम गुमड़ा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	अकलतरा प. ह. नं. 07	0.006	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण के संबंध में.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	दर्राभाठा प. ह. नं. 01	0.158	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	दर्राभाठा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	परसदाकला प. ह. नं. 11	0.306	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	हरदी माइनर नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	लवसरा प. ह. नं. 11	0.028	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	सिरली सब माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बाराद्वार बस्ती प. ह. नं. 15	0.065	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	मौहाभाठा सब माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पलाड़ीकला प. ह. नं. 15	0.053	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	पलाड़ी माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्रमांक 9299/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-राजनांदगांव
(ग) नगर/ग्राम-पदगुड़ा, प. ह. नं. 58
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.968 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
590	0.016
592/1	0.370
601/1	0.465
592/2	0.012
389	0.335
508/2	0.004
617/4	0.420
616/4	0.072
618	0.044
228/6	0.476
513	0.023
507/1	0.012
507/2	0.008
535	0.345
224	0.090
512	0.182
514	0.140
327	0.069
534	0.315
228/1	0.530
225/1	0.004
228/8	0.008
339/1	0.295
329	0.070
340/1	0.246
326/1	0.230
326/2	0.093
386/1	0.081
390/1	0.251
380	0.190
379	0.065
376/1	0.258
382	0.004
375	0.008
609	0.130
600/4	0.066
510/3	0.004
508/1	0.004
328/1	0.053
325/1	0.073
387/1	0.068
387/2	0.130
387/3	0.162
378	0.057
601/4	0.294
601/2	0.164
601/3	0.180
317/1	0.024
317/3	0.024
317/2	0.024
615/2	0.004
615/1	0.218
613/1	0.128
506/1	0.056
589	0.360
613/1	0.195
616/1	0.100
517/2	0.004
516/2	0.186
506/4	0.044
516/5	0.220
616/3	0.064
376/2	0.287
600/1	0.056
318/1	0.045
223	0.113
222	0.012
613/3	0.168

(1)	(2)
614	0.105
600/2	0.008
228/9	0.056
324/1	0.012
616/2	0.138
613/4	0.036
390/3	0.151
617/5	0.056
381	0.012
403/8	0.089
403/9	0.093
377	0.004
156/3	0.0[illegible]6
511	0.610
508/3	0.008
योग 84	10.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

क्रमांक 10042/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगरगढ़, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
303/3	0.09
303/4	0.08
303/1	0.01
307	0.01
300/3	0.03
302/1	0.04
303/2	0.01
612/1	0.42
300/85	0.01
300/61	0.01
योग 10	0.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोंगरगढ़ से चिचोला रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

क्रमांक 10044/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-चिखलाकसा, प. ह. नं. 71
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
12/1	0.35

(1)	(2)
160	0.25
योग	0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चौकी-लोहारा मार्ग के कि. मी. 10/4 पर माहूद/मचांदूर नाला पुल में पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1269/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-रोकबहार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.416 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44/1	0.060
44/3	0.152
45/1	0.144
44/2	0.060
योग 4	0.416

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खमगढ़ा जलाशय की आर. बी. सी. मुख्य नहर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1271/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-सागरपाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.080 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118/2 घ	0.048
125/2	0.044
110/2, 111/1, 112/2	0.032
118/2 ज	0.044
124/2	0.028
131	0.068
128/1	0.172
130/4	0.072
115/3, 129/2	0.016

	(1)	(2)
	124/1	0.084
	130/1	0.120
	112/3	0.024
	112/1	0.072
	134/1	0.036
	119/1	0.220
योग	15	1.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खमगढ़ा जलाशय की सागरपाली माइनर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-कसईपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-78.049 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
182	0.474
184	0.158
185	0.053
186/1 घ	0.486
186/1 ङ	0.049
186/1 च	0.64
186/1 छ	0.506
186/1 ञ	0.024
186/1 ढ	0.0081
186/1 ण	0.024
186/1 च	0.024
186/1 द	0.012
186/1 ध	0.012
186/1 न	0.012
186/1 प	0.012
186/2 ख, 195/2 ख	0.902
186/2 ग	0.162
186/2 घ	0.061
186/2 ङ	0.061
186/2 च	0.061
186/2 छ	0.061
190/2	0.02
191/2	0.081
193/1	0.17
193/3	0.142
195/1 ख	0.879
195/1-ग, 222/6	1.213
195/1 छ	0.882
195/1 ज	0.324
195/1 झ	1.458
195/2 ग	1.194
195/2 घ	0.388
195/2 ङ	0.182
195/2 छ	0.109
195/2 ज	0.138
195/2 झ	0.101
195/3 ग	2.092
196/1	0.34
197	0.182
198/1	0.101
198/2	0.0134
198/3	0.0053
198/4	0.049
199/1	0.121
199/2	0.081
199/3	0.121
199/4	0.105
199/5	0.125

(1)	(2)
199/6	0.069
200/1	0.077
200/2	0.077
201/1	0.202
201/2	0.065
201/3	0.065
201/4	0.072
202/2	0.125
203/1	0.012
203/2	0.054
203/3	0.041
203/4	0.020
203/5	0.0101
204	0.040
205/1	0.024
205/2	0.020
205/3	0.020
205/4	0.024
205/5	0.020
205/6	0.012
206/1	0.028
206/2	0.028
210	0.012
211	0.012
213/1, 213/2	0.061
217/2	0.028
218	0.125
220/4	0.073
222/2	0.243
222/3	0.073
222/4	0.121
222/5	1.242
222/8 क	0.243
222/10	0.405
222/11	0.405
222/12	0.101
222/13	0.405
222/14	0.202
222/15	0.405
222/16	0.053
222/17	0.056
222/18	0.056
222/19	0.056
222/20	0.140
222/21	0.040
222/22	0.180
222/23	0.180
222/24	0.032
224	0.148
225/1	0.073
225/2	0.030
225/3	0.087
226/1	0.158
226/2	0.113
226/3	0.113
226/4	0.032
227	0.162
228/1	0.182
228/2	0.038
228/3	0.040
228/4	0.097
228/5	0.110
228/6	0.023
228/7	0.072
228/8	0.049
228/9	0.072
229/1	0.532
229/2	0.035
230/1	0.081
230/2	0.081
231/1	0.081
231/2	0.235
232	0.162
233/1	0.142
233/2	0.053
234/1	0.121
234/2	0.121
235	0.401
236/1	0.384
236/2	0.202
237/1, 238/2	0.162
237/2, 238/3	0.368
237/3, 238/4	0.372
237/4, 238/5	0.388
238/1	0.057
238/6	0.105
238/7	0.125
239	0.271
240/2	0.162
240/3	0.121
240/4	0.405
240/5	0.202

(1)	(2)
240/7	0.162
241	0.170
242	0.283
243/1	0.086
243/2	0.121
243/3	0.036
245	0.299
246	0.109
248/1	0.146
249	0.534
250/1, 256/2 ख	0.510
250/2	0.012
250/3	0.016
250/4	0.004
250/5, 256/2 ज	0.175
250/6, 256/2 झ	0.154
251	0.283
252/1	0.024
252/2	0.028
252/3	0.024
253	0.117
254/1	0.129
254/2	0.069
254/3	0.057
254/4	0.049
254/5	0.085
255/2	0.202
256/1 घ	0.085
256/1 ङ	0.348
256/1 च	0.970
256/1 छ	0.105
256/1 झ, 263/3 क	0.247
256/1 भ	0.049
256/1 ट	1.339
256/1 ड	0.599
256/1 ण	0.162
256/1 द	0.098
256/1 ध	0.259
256/1 न	0.259
256/1 ब	0.081
256/1 ल	0.174
256/1 व	0.040
256/1 श	0.162
256/1 स	0.085
256/1 इ	0.093
256/1 क्ष	0.093
256/1 त्र	0.105
256/1 ज्ञ, 263/3 ख	0.012
256/1 ढ, 263/3 ग	0.008
256/1 ङ, 263/3 घ	0.008
256/2 ग	0.364
256/2 ङ	0.206
256/2 च	0.183
256/2 छ	0.182
258/1	0.049
258/2	0.049
258/3	0.049
258/4	0.036
259/1	0.077
259/2	0.073
259/3	0.053
259/4	0.089
260	0.251
261/1	0.122
261/2	0.445
261/3	0.344
263/5	0.405
263/6	0.526
263/7	0.303
263/8	0.405
263/9	0.607
263/10	0.405
263/11	0.809
263/13	0.251
263/15	0.809
263/16	0.809
263/17	0.405
263/18	0.405
263/20	0.405
263/21	0.809
263/25	0.809
263/26	0.809
263/27	0.809
263/28	0.809
263/29	0.607
263/30	0.809
263/31	0.405
263/35	0.809
263/37	0.809
263/40	0.405
263/41	0.809
263/43	0.793

(1)	(2)
263/44	0.809
263/46	0.809
263/47	1.634
263/48	0.283
263/49	0.304
263/52	0.405
263/53	0.405
263/54	0.809
263/55	0.575
264/1	0.264
264/2	0.253
264/3	0.261
264/4	0.271
264/5	0.238
265/2	0.149
265/3	0.493
265/4	0.230
265/7	0.081
265/9	0.041
265/11	0.238
265/12	0.226
265/16	0.202
265/17	0.271
265/18	0.202
265/19	0.077
266/1	0.049
266/2	0.227
266/3	0.157
267	0.219
269/1	0.132
269/2	0.202
269/3, 272, 273	1.311
271	0.080
264/1	0.101
264/2	0.101
265/3	0.049
276/2, 276/10	0.696
276/4	0.624
276/6	0.071
276/7	0.061
276/8 क	0.041
276/8 ख	0.040
276/8 ग	0.040
276/9	0.101
276/11	0.606
276/12	0.284
276/14	0.073
276/15 क	0.155
276/15 ख	0.132
276/17	0.405
276/19	0.154
276/20	0.170
276/21	0.377
276/22	0.154
276/23, 276/24, 276/25	0.376
276/26	0.202
276/27	0.405
276/28	0.202
278	0.081
279/1	0.061
279/2	0.061
280/1	0.186
281/1	0.206
282	0.162
283/2	0.032
283/3	0.405
283/4	0.405
284/1	0.113
284/2	0.405
284/3	0.275
284/4	0.194
284/5	0.081
284/6	0.011
285/1	0.081
285/2	0.032
285/3	0.530
285/4	0.028
285/5	0.028
286/1	0.332
286/2	0.110
286/3	0.198
286/4	0.142
286/5	0.012
286/6	0.093
286/7	0.089
286/8	0.101
286/9	0.113
286/10	0.162

	(1)	(2)
	286/11	0.113
	287/2	0.324
	287/3	0.142
	287/4	0.142
योग		78.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 2 X 125 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

क्रमांक 27.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बिछिया, प. ह. नं. 03.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	197	0.012
	370/1	0.012
	353	0.016
योग	3	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आमापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

क्रमांक 28.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरली, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1454/3	0.040
	1447/4	0.012
	1447/5	0.028
योग		0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गोरखापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-रजघटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.845 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	201	0.251
	208/1 च	1.214
	218/2	0.049
	202/2	0.425
	212/1, 213/1	0.097
	208/1 ङ	0.708
	214/2	0.101
योग	7	2.845

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-132 के. व्ही. विद्युत उपकेन्द्र खरसिया के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 5th December 2006

No. 795/Confdl./2006/II-3-14/2000.—On the request of Ku. Kirti Dan Xalxo, III Civil Judge II, Ambikapur, she is, hereby, permitted to change her name to "Smt. Kirti Lakra". It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 19th December 2006

No. 6182/J. O. T. I./2006/II-15-66/2001 (Pt. II).—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officer's Traning Institute (J. O. T. I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 04-01-2007 in the afternoon and before 5:00 P. M. for undergoing the First Part of Institutional Training Programme to be held from 05th January 2007 to 03rd February 2007.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Smt. Shradha Singh	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur
2.	Shri Kiran Kumar Jangade	I Civil Judge Class-II, Bilaspur
3.	Shri Yashpal Singh Tandon	IX Civil Judge Class-II, Durg

(1)	(2)	(3)
4.	Shri Mukesh Kumar Patre	VIII Civil Judge Class-II, Raipur
5.	Shri Shyam Sunder Kashyap	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
6.	Ku. Sarita Das	IV Civil Judge Class-II, Raigarh
7.	Ku. Yogita Gadpayle	VI Civil Judge Class-II, Durg
8.	Shri Pramod Singh Paraste	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
9.	Ku. Sanjaya Ratrey	IX Civil Judge Class-II, Bilaspur
10.	Shri Rakesh Kumar Som	Civil Judge Class-II, Kanker
11.	Shri Jitendra Kumar Thakur	Civil Judge Class-II, Baikunthpur
12.	Shri Kamlesh Kumar Jurri	X Civil Judge Class-II, Raipur
13.	Shri Jagdish Ram	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
14.	Shri Anil Kumar Bara	I Civil Judge Class-II Dantewara
15.	Ku. Mohani Kanwar	I Civil Judge Class-II, Raigarh
16.	Ku. Dwarika Tidke	VIII Civil Judge Class-II, Durg

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :-

A. Code of Civil Procedure
B. Code of Criminal Procedure
C. Evidence Act
D. Limitation Act
E. Indian Penal Code
F. Rules & Orders-Civil & Criminal
G. Stamp & Court Fees Act
H. Arms Act
I. C. G. Excise Act
J. Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules)

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2006

क्रमांक 6196/तीन-6-2/2006.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री प्रफुल्ल सोनवानी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी (तात्कालीन न्यायिक मैजिस्ट्रेट कोण्डागांव) जिला धमतरी को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

No. 6196/III-6-2/2006.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri Prafull Sonwani, Judicial Magistrate First Class, Dhamtari (the then Judicial Magistrate First Class, Kondagaon) District Dhamtari to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of the High Court,
H. S. MARKAM, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2006

क्रमांक 214/दो-2-2/2006.—श्री बी. एल. तिड़के, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), रायपुर (छ. ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 26-08-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

क्रमांक 218/दो-2-21/05.—श्रीमति माधुरी कातुलकर, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिलासपुर (छ. ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 2-09-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

क्रमांक 219/दो-2-4/2006.—श्री आर. सी. एस. सामन्त, एडीशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-11-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

क्रमांक 220/दो-3-5/05.—श्री छबिलाल पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा (छ. ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 11-10-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. आर. एल. नारायणा, एडीशनल रजिस्ट्रार (लेखा).